समाहरणालय, समस्तीपुर।
(जिला राजस्व प्रशाखा)

दूरभाष सं० :- 06274–222300 (का०)
06274–222301 (आ०)
Email :- dm-samastipur.bih@nic.in

आदेश

स्थानीय स्तर पर आये दिन अधिकार अभिलेखों, चौहद्दी राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों रैयती भूमि पर गैर कानूनी दखल तथा लोक भूमि आवंटियों की बेदखली की अनेक समस्याऐं उत्पन्न होती है जिसका ससमय निराकरण आवश्यक है।

इस संबंध में यह आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय स्तर पर ऐसे विवादित स्थलों को चिन्हित कर अंचल अधिकारी तथा उस अंचल के थानाध्यक्ष अपने स्तर पर अनुश्रवण/ पर्यवेक्षण करें। साथ हीं भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से किया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक चरण में ऐसी समस्याओं को चिन्हित किया जाय। यह कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन यथा आसूचना संग्रहण विभिन्न स्रोतों उदाहरणार्थ जनता दरबार से प्राप्त परिवाद पत्र, माननीय विधायक/स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा बताये गये विवादित स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारी आदि को संकलित कर किया जा सकता है। उन संकलित सूचनाओं में यह भी देखा जाय कि कहाँ पर शान्ति भंग होने की प्रवल आशंका है ? वैसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर शिविर आयोजन किया जाय तथा उसमें तत्काल समस्या का निदान किया जाय। अगर भू–विवाद के कारण किसी भी परिस्थिति में शांति भंग होती है तो संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को संयुक्त रूप से जवावदेह माना जायेगा।

भूमि विवाद से जुड़े ऐसे मामलों के अग्रेतर कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–791(8)रा०, दिनांक–12.09.12 के आलोक में सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रति सप्ताह शनिवार के दिन उपर्युक्त वादों के निपटारा के लिए स्थान एवं सुनवाई का निर्धारण करना सुनिश्चित करें। शिविर आयोजन करने के पूर्व निर्धारित तिथि का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी करायेगें। शिविर तिथि को कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र में थानाध्यक्ष/अंचल अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अधोहस्ताक्षरी/पुलिस अधीक्षक को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन की प्रति अपने अनुमंडलाधिकारी को भी समीक्षा हेतु देंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र अर्न्तगत आयोजित शिविर में भाग लेने हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी/पुलिस निरीक्षक का एक रोस्टर बनाकर अपने स्तर से उनकी प्रतिनियुक्ति कर देंगे तथा शिविर में निष्पादित किये जानेवाले मामलों की अपने स्तर से समीक्षा कर अनुमंडल स्तरीय समेकित प्रतिवेदन जिला को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विहित प्रपत्र

1. तिथि	
2. अंचल का नाम	
3. प्रस्तावित स्थल का नाम	
4. कैम्प आयोजित करने की तिथि एवं समय	
5. राजस्व ग्रामों में कुल प्राप्त राजस्व संबंधी विवदित मामले	
6. उक्त विवादित मामलों में ऐसे कितने मामले जिसमें शान्ति भंग होने की संभावना है	

7. उन समस्याओं पर कौन–कौन सी कार्रवाई की गई	
8. कितने मामलों का निष्पादन किया गया	
9. भूमि विवाद के कितने ऐसे मामले में लम्वित जिस पर शांति भंग होने की आशंका है	
10. कौन सी कार्रवाई अपेक्षित है	
11. क्या वरीय पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी	

थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर
तिथि एवं समय

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर
तिथि एवं समय

पुलिस अधीक्षक,
समस्तीपुर ।

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर ।

ज्ञापांक–...123/16.../ रा०, समस्तीपुर, दिनांक–...31......वीं, मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को भवदीय पत्रांक–136, दिनांक–04.03.16 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को भवदीय पत्रांक–791(8)रा०, दिनांक–12.09.12 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/16

पुलिस अधीक्षक,
समस्तीपुर ।

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर ।